फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

जीवराज पिता हरिराम गर्ग निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर

बनाम

पदेन विकास अधिकारी, पंचायत समिति भूपालसागर वगैरा

कार्यवाही :– अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा. दी.

प्रकरण संख्या 01/2025 (विविध)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.03.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किए गए। रजिस्टर्ड ए. डी. के नोटिसों की ट्रेकिंग रिपोर्ट अनुसार विपक्षी संख्या 1 व 3 को दिनांक 07.02.2025 तथा विपक्षी संख्या 2 व 4 को दिनांक 10.02.2025 को नोटिस डिलीवर्ड हो चुके हैं। अतः विपक्षीगण की तामील मानी जाती है। विपक्षीगण बावजूद सूचना के आदिनांक तक उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षीगण के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 31/2023 (नि.पं.) दर्ज होकर सुनवाई हेतु दिनांक 26.07.2024 नियत थी। मैं स्थानीय अधिवक्ता नहीं होने तथा बाहर जोधपुर में विधि कार्य रहने से उक्त सुनवाई दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। उसके पश्चात् मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मैं उपस्थित नहीं हो सका जिससे मेरा प्रकरण संख्या 31/2023 (नि.पं.) अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। चूंकि उक्त प्रकरण में मैं स्वयं प्रार्थी एवं अधिवक्ता हूँ। उक्त प्रकरण में यदि मेरिट पर सुनवाई होकर निर्णय नहीं हुआ तो मुझ प्रार्थी को न्याय से वंचित होना पड़ेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भी सम्भव नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त प्रकरण संख्या 31/2023 (नि.पं.) को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। चूंकि प्रार्थी ने नियत तारीख पेशी पर स्वयं के बीमार हो जाने का कथन	.....लगातार

	करते हुए नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकने का निवेदन किया है किन्तु कथन की पुष्टि में बीमारी संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी हम सहानुभूति रखते हुए उक्त प्रकरण/निगरानी को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं। अतः न्यायहित में राशि 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये मात्र की कोस्ट पर प्रकरण संख्या 31/2023 (नि.पं.) निर्णय दिनांक 26.07.2024 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी 1000/– रूपये कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करावें। प्रार्थी के कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करा जी. ए.–55 की रसीद प्रस्तुत करने पर ही प्रकरण संख्या 31/2023 (नि.पं.) को नम्बर पर लिया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण संख्या 31/2023 (नि.पं.) के संलग्न की जावे। 	